न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र 114/2022	रजू दिनांक 05.04.2022	निर्णय दिनांक 28-9-2022

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(भूमिधारी),नीमराना जिला अलवर।

:–वादी।

बनाम

1. अमीलाल पुत्र किशनलाल जाति कुम्हार सा.बीरनवास तह. नीमराना।
2. ओमप्रकाश यादव पुत्र होशियार यादव जाति अहीर सा. जौनायचा खुर्द तह0 नीमराना।
3. कमला देवी पत्नी जयराम जाति अहीर सा0 बीरनवास तह0 नीमराना।
4. कैलाशचन्द्र पुत्र दाताराम जाति अहीर सा0 बीरनवास तह0 नीमराना।
5. भिखारी पुत्र कान्हाराम जाति कुम्हार सा0 बीरनवास तह0 नीमराना।
6. दयानन्द पुत्र थावरसिंह जाति कुम्हार सा0 बीरनवास तह0 नीमराना।
7. देवेन्द्र पुत्र थावरसिंह जाति कुम्हार सा0 बीरनवास तह0 नीमराना।
8. महेन्द्र पुत्र दाताराम जाति अहीर सा0 बीरनवास तह0 नीमराना।
9. राजवीर पुत्र रूपराम जाति अहीर सा0 बीरनवास तह0 नीमराना।
10. रामेश्वरदयाल पुत्र दाताराम जाति अहीर सा0 बीरनवास तह0 नीमराना।
11. रामानन्द पुत्र मंगतु जाति अहीर सा0 बीरनवास तह0 नीमराना।
12. वीरेन्द्र पुत्र दाताराम जाति अहीर सा0 बीरनवास तह0 नीमराना।
13. श्रीचन्द पुत्र किशनलाल जाति कुम्हार सा0 बीरनवास तह0 नीमराना।
14. शीशराम पुत्र किशनलाल जाति कुम्हार सा0 बीरनवास तह0 नीमराना।
15. सुनील कुमार पुत्र जयराम जाति अहीर सा0 बीरनवास तह0 नीमराना।
16. सुबेसिंह पुत्र दाताराम जाति अहीर सा0 बीरनवास तह0 नीमराना।
17. रामचन्द्र पुत्र किशनलाल जाति कुम्हार सा0 बीरनवास तह0 नीमराना।
18. सुमन पुत्री जयराम जाति अहीर सा0 बीरनवास तह0 नीमराना।
19. सूरजा पुत्र भोला जाति अहीर सा0 बीरनवास तह0 नीमराना।
20. सुरेश कुमार पुत्र जयराम जाति अहीर सा0 बीरनवास तह0 नीमराना।
21. सुषमा पुत्री जयराम जाति अहीर सा0 बीरनवास तह0 नीमराना।
22. सावित्री पुत्री किशनलाल जाति कुम्हार सा0 बीरनवास तह0 नीमराना।

:– प्रतिवादीगण।

दावा अंतर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट0

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0।

उपस्थिति:– 1 पेशकार सरकार वादी की ओर से ।

2 श्री मुकेश यादव एड0 प्रतिवादी सं. 02 की ओर से।

–::निर्णय::–

पत्रावली पेश हुई। प्रा0पत्र के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादी ने अंतर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट0 का वाद पेशकर उसे साथ प्रा0पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट0 पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी ख.नं. 77/01.05,78/0.19,79/0.25,80/0.24 वाके ग्राम धीलोठ तह.नीमराना वर्तमान जमाबन्दी मे प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज है, जो कृषि भूमि है, जमाबन्दी संवत 2075–78 मे प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है। पटवारी हल्का धीलोठ द्वारा दिनांक 11.03.2022 को इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि उक्त वर्णित ख.नं. 77/01.05,78/0.19,79/0.25,80/0.24 हैक्0 भूमि पर पक्का निर्माण (प्लाटिंग) कर उक्त भूमि को

कृषि के उपयोग मे ली जा रही है। जिस हेतु प्रतिवादीगण ने कृषि भूमि को परिवर्तन का कोई सक्षम आदेश प्राप्त नही कर रखा है तथा मौके पर यह कृषि भूमि अब पुनः कृषि करने योग्य नही है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस संलग्न है।

2. राज्य सरकार की ओर से खातेदारान को कृषि भूमि मे कृषि करने का ही अधिकार प्रदान किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कृषि का स्वरूप परिवर्तन बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के कर लिया है। जिससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई है। प्रतिवादी के इस कृत्य की देखा देखी मे अन्य लोगों द्वारा भी इसी प्रकार कृषि भूमि का स्वरूप खराब किया जा सकता है जिससे भविष्य मे कृषि संबंधी उदेश्श्य ही समाप्त हो जायेगा। साथ ही अवैध कॉलोनियों की स्थापना हो जाएगी जो भविष्य मे क्षेत्र के विकास मे बाधक होगी।

3. अतः प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. पेश कर निवेदन है कि अप्राथीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे की वादी के निर्णय तक आ. ख.नं. 77 / 01.05,78 / 0.19,79 / 0.25,80 / 0.24 वाके ग्राम घीलोठ के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे ना ही कोई बयनामा पंजीबद्व करावे।

4. प्रा0पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थी को एकपक्षीय सुना जाकर दिनांक 05.04.2022 को अप्रार्थीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई की वो दिनांक 24.04.2022 तक आराजी ख.नं. 77 / 01.05,78 / 0.19,79 / 0.25,80 / 0.24 वाके ग्राम घीलोठ के मौका एवं रिकॅार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे। प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल अप्रार्थी सं. 02 की ओर से दिनांक 04.07.2022 को प्रा0पत्र अस्वीकार करते हुए जवाब प्रा0पत्र पेश किया कि पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट दिनांक 11.03.2022 को पेश कि गई है,जो गलत है खिलाफ मौके के की गई है मौके पर कोई कच्चा पक्का निर्माण नही बल्कि उपरोक्त भूमि कृषि भूमि है तथा कृषि हेतु ही उपयोग,उपभोग मे ली जा रही है। इसलिए कृषि भूमि को कृषि कार्य हेतु उपयोग मे लेने के लिए किस्म परिवर्तन की आवश्यकता ही नही है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रूप से मौका रिपोर्ट तहसीलदार साहब के समक्ष पेश कि गई है। उक्त भूमि पर रवी, खरीफ की फसल बोई जाती है। प्रति0 द्वारा कृषि कार्य के अलावा अन्य किसी प्रकार से उपयोग,उपभोग नही किया जा रहा है ओर कोई राजस्व हानि नही हो रही है।

5. पटवारी हल्का ने गलत एवं मिथ्या रूप से अप्रार्थीगण को बेवजह तंग व परेशान करने की गर्ज से गलत मौकार रिपोर्ट तहसीलदार साहब के समक्ष पेश की है। मौके पर प्रति0 द्वारा कोई कच्चा–पक्का निर्माण नही किया जा रहा है। अतः जवाब स्वीकार किया जाकर प्रा0पत्र प्रार्थी मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे। शेष अप्रार्थीगण की ओर से जवाव पेश नही किया गया।

6. जवाब प्रा0पत्र पेश होने पर वकील अप्रार्थी सं0 02 को सुना गया। तथा विवादित आराजी की वर्तमान स्थिति के संदर्भ मे तहसीलदार नीमराना से मौका रिपोर्ट तलब की गई तहसीलदार,नीमराना द्वारा पत्र क्रमांक / 459 दिनांक 28.09.2022 के द्वारा मौका रिपोर्ट भिजवाई गई जो शामिल पत्रावली की जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

7. वकील अप्रार्थी सं0 02 ने जवाब मे अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया की विवादित आराजी के किसी भी भू भाग पर किसी भी प्रकार का निर्माण नही किया गया है। वर्तमान मौका रिपोर्ट का अवलोकन फरमावे। उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार भी मौके पर किसी प्रकार का निर्माण नही है। अतः प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावे।

8. हमने वकील अप्रार्थी.सं. 02 की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के संलग्ल नकल जमाबन्दीं सं0 2075–78 के अनुसार आराजी विवादित प्रति0 की खातेदारी मे दर्ज है,तसहीलदार,नीमराना की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.09.2022 मे अंकित किया हुआ है कि विवादित आराजी ख.नं. 77 / 01.05,78 / 0.19,79 / 0.25,80 / 0.24 वाके घीलोठ तह.नीमराना पर वर्तमान मे कोई निर्माण नही है मौके पर खाली है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.09.2022 के अनुसार मौके पर

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

किसी प्रकार का निर्माण नही होना अवगत कराया गया है।उक्त मौका रिपोर्ट के प्रार्थी का प्रा0पत्र साबित नही होता है। प्रा0पत्र काबिल खारिज है।

अतः आदेश है कि:—

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतगर्त धारा 212 आर0टी0एक्ट0 बाबत आ.ख. नं. 77/01.05,78/0.19,79/0.25,80/0.24 वाके ग्राम धीलोठ तह. नीमराना सिद्ध नही होने के कारण न्यायालय हाजा द्वार पूर्व मे जारी टी0ई0 आदेश दिनांक 05.12. 2022 अपास्त किया जाकर प्रा0पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.9.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

28/9/2022

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)